जमालपुर कारखाना में अप्रेंटिस अधिनियम – 1961 के अन्तर्गत एक्ट अप्रेंटिसों का नामांकन

नामांकन सूचना सं0 ई/डब्ल्यूएसआर/एक्ट अप्रेंटिस/जेएमपी/17–18 जमालपुर, दिनांक 24.10.2017.

सर्व संबंधित **अंतिम तिथि : 30.11.2017**

1. जमालपुर रेल इंजन कारखाना में एक्ट अप्रेंटिस में नामांकन हेतु विहित प्रपत्र में वैसे उम्मीदवारों एवं भूतपूर्व सैनिकों के साथ–साथ शांति प्रक्रिया बहाली में मृतक/असक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे एवं सेवारत जवानों के बच्चे/कार्यरत अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों **के बच्चों** से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जिन्होंने हाई स्कूल या 10वीं पास (10+2 पद्धति) की परीक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ पास किया हो एवं निर्दिष्ट ट्रेडों में आईटीआई (एनसीभीटी) प्रशिक्षण उत्तीर्ण हो। उम्मीदवारों को एक ही आवेदन पत्र अपनी ईच्छा से प्राथमिकता के आधार पर ईकाई/मंडल के लिए भरना है। चयनित अभ्यार्थियों को अप्रेंटिस एक्ट– 1961 के वर्तमान नियमों (समय–समय पर यथा संशोधित) के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा।

जातिगत विवरण के साथ ट्रेडों का विवरण निम्न प्रकार है :

क. रेल इंजन कारखाना, जमालपुर

क्र0 सं0	निर्दिष्ट ट्रेड	स्लॉट्स् की संख्या								
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	कुल	भूतपूर्व सैनिक	ओएच	एचएच	भीएच
1.	फीटर	42	22	12	06	82	02	01	01	00
2.	वेल्डर (जी एवं ई)	28	15	08	04	55	02	01	01	00
3.	मैसेनिष्ट	12	06	03	02	23	01	00	00	01
4.	इलेक्ट्रिशियन	12	06	03	01	22	01	00	00	01
कुल :		**94**	**49**	**26**	**13**	**182**	**06**	**02**	**02**	**02**

ख. आसनसोल मंडल

क्र0 सं0	निर्दिष्ट ट्रेड	स्लॉट्स् की संख्या								
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	कुल	भूतपूर्व सैनिक	ओएच	एचएच	भीएच
1.	फीटर	76	41	23	11	151	05	01	02	02
2.	टर्नर	07	04	02	01	14	00	00	00	00
3.	वेल्डर (जी एवं ई)	49	26	14	07	96	03	02	01	00
4.	इलेक्ट्रिशियन	55	30	17	08	110	03	01	01	01
5.	मेकेनिक (डीजल)	21	11	06	03	41	01	00	00	01
कुल :		**208**	**112**	**62**	**30**	**412**	**12**	**04**	**04**	**04**

ग. मालदा मंडल

क्र0 सं0	निर्दिष्ट ट्रेड	स्लॉट्स् की संख्या								
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	कुल	भूतपूर्व सैनिक	ओएच	एचएच	भीएच
1.	फीटर	56	29	16	08	109	03	01	01	01
2.	इलेक्ट्रिशियन	34	18	10	05	67	02	00	01	01
3.	रेफ एवं एसी मेक0	09	05	03	01	18	01	01	00	00
4.	मेकेनिक (डीजल)	01	00	00	00	01	00	00	00	00
5.	वेल्डर	03	01	00	00	04	00	00	00	00
6.	पेन्टर	02	00	00	00	02	00	00	00	00
7.	कारपेन्टर	03	00	00	00	03	00	00	00	00
कुल :		**108**	**53**	**29**	**14**	**204**	**06**	**02**	**02**	**02**

टिप्पणी : (i) भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग के लिए उपरोक्त टेबुल (क), (ख) और (ग) में आरक्षित सीट अलग से नहीं है, बल्कि कुल सीटों की संख्या में शामिल है।

(ii) दिव्यांग :

a)	**Fitter**	**HH**	**–**	**Person who is deaf or dumb or deaf and dumb.**
		OH	**–**	**Lower limb partially damages from one side.**
		VH	**–**	**The candidates having vision in one eye.**
b)	**Machinist**	**VH**	**–**	**The candidates having vision in one eye.**
c)	**Welder/ Welder (G&E)**	**OH**		**Person without leg and without three fingers of one hand can be accommodated.**
		HH	**–**	**Person who is deaf or dumb or deaf and dumb.**
d)	**Electrician**	**OH**	**–**	**Partially lower limb- candidates.**
		HH	**–**	**Person who is deaf or dumb or deaf and dumb.**
		VH	**–**	**The candidate having vision in one eye.**
e)	**Mech/Dsl.**	**VH**	**–**	**The candidate having vision in one eye.**
f)	**Ref. & AC Mech.**	**OH**	**–**	**Only one Lower limb partially working can be accommodated or small finger of each hand damaged can be accommodated**

2. क्षेत्रीय निदेशालय, अप्रेंटिस प्रशिक्षण (पूर्वी क्षेत्र), श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों को विभिन्न पदनामी ट्रेडों के लिए प्रशिक्षण की अवधि तय की जाएगी। RDAT के अनुसार प्रशिक्षण के दरम्यान किसी भी प्रकार की आवासीय सुविधा नहीं दी जाएगी।

ध्यान दें :– **यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि नामांकित अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण उपरान्त रेल प्रशासन किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं देगा और न ही देने के लिए बाध्य है। यह प्रशिक्षण एक्ट अप्रेंटिस नियम – 1961 के वैधानिक बाध्यता के अन्तर्गत दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को विमुक्त कर दिया जाएगा और रेल प्रशासन कोई नौकरी नहीं देगा। वे (अभ्यार्थी) रेलवे में नियुक्ति के संबंध में कोई चुनौती या दावा न्यायालय में पेश नहीं कर सकते हैं।**

3. **उम्र : दिनांक 30.11.2017 को उम्र की गणना की जाएगी।**

क) सामान्य जाति के उम्मीदवारों का उम्र 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी उनकी जन्म तिथि दिनांक 01.12.93 से 30.112002 के बीच होनी चाहिए।

ख) पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों का उम्र 15 वर्ष से कम और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी उनकी जन्म तिथि दिनांक 01.12.90 से 30.11.2002 के बीच होनी चाहिए।

ग) अनुसूचित जाति और अनुसुचित जनजाति के उम्मीदवारों का उम्र 15 वर्ष से कम और 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी उनकी जन्म तिथि दिनांक 01.12. 88 से 30.11.2002 के बीच होनी चाहिए।

ग) दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए :

i) सामान्य जाति के उम्मीदवारों का उम्र 15 वर्ष से कम और 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी उनकी जन्म तिथि दिनांक 01.12.83 से 30.11.2002 के बीच होनी चाहिए।

ii) पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों का उम्र 15 वर्ष से कम और 37 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी उनकी जन्म तिथि दिनांक 01.12.80 से 30.11. 2002 के बीच होनी चाहिए।

iii) अनुसूचित जाति और अनुसुचित जनजाति के उम्मीदवारों का उम्र 15 वर्ष से कम और 39 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी उनकी जन्म तिथि दिनांक 01.12.78 से 30.11.2002 के बीच होनी चाहिए।

घ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा उनके द्वारा की गई सैन्य सेवा + 03 वर्ष होगी, वशर्ते उन्होंने कम से कम 06 महीने की साक्षांकित सेवा पूरी की हो।

वैसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने पहले ही भूतपूर्व सैनिकों का लाभ लेकर कोई अन्य (सिविल) सेवा पर सरकारी सेवा में योगदान कर चुके हैं वे इसमें नामांकन के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिकों का उल्लेख करते हुए नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। वैसे भूतपूर्व सैनिक जो असैन्य (सिविल) सेवा में नियुक्ति चाहते हैं तथा तदनुरुप उम्र आदि में छूट जैसे लाभ के हकदार हैं, सामान्य मामलों में इस संबंध में वर्तमान निदेशों के अनुसार वे आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वे वैसी सुविधा शर्तों को पूरा करते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र/पुत्री/आश्रित भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर आवेदन करने के हकदार नहीं है। वे भूतपूर्व सैनिक जो अप्रेंटिस कोटियों के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा की छूट अप्रेंटिस कोटियों में नामांकन हेतु उम्र सीमा की सभी छूट को शामिल करते हुए 40 वर्ष है। अप्रेंटिस का अर्थ है वह कोटि जिसमें प्रशिक्षण शामिल हो। तब अभ्यर्थी की जन्म तिथि 01.12.77 से 30.11.2002 के बीच होनी चाहिए।

4. **शैक्षणिक योग्यता :** उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड परीक्षा या 10वीं कक्षा (10+2 पद्धति) में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए एवं नोटिफाइड ट्रेडों में आई0टी0आई0 होना आवश्यक है। वैसे उम्मीदवार जिनके पास उपरोक्त निर्दिष्ट ट्रेडों में एनसीभीटी से आई0टी0आई0 डिग्री नहीं है, आवेदन नहीं देंगे।

5. **नामांकन की प्रक्रिया :** मैट्रिक या 10वीं कक्षा (10+2 पद्धति) या समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड परीक्षा में प्राप्त प्रमाण पत्र एवं निर्दिष्ट ट्रेड में एनसीभीटी से आईटीआई पास प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन किया जाएगा। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त छुट/लाभ नहीं दी जाएगी। मैट्रिक या 10वीं कक्षा (10+2 पद्धति) में प्राप्त कुल प्राप्तांकों की प्रतिशतता के आधार पर ट्रेड आधारित मेधा सूची तैयार की जाएगी।

मुख्य कार्मिक अधिकारी, पूर्व रेलवे, कोलकाता द्वारा निर्गत पत्र सं0 ME.370/28/0/Pt. III(C) दिनांक 23.04.2004 के आलोक में कुल सीटों की 1.25 टाईम्स उम्मीदवारों की मेधा सूची अनुसार मूल प्रमाण पत्रों/कागजातों का जांच एवं चिकित्सीय सुयोग्यता जांच हेतु बुलाया जाएगा। इस संबंध में कोई लिखित या मौखिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। अभिलेखों की सत्यता की जांच एवं शारीरिक सक्षमता की जांच के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उम्मीदवारों को क्षेत्रीय निदेशालय, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण (RDAT), Ministry of Skill Development & Engerpreneurshp, भारत सरकार अंतर्गत जमालपुर कारखाना संस्थान में स्वयं से अंतिम प्रमाण पत्र हेतु निबंधन कराना पड़ेगा। विनिर्दिष्ट ट्रेडों के सीटों में मेधा के अनुसार पाए गए योग्य उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

6. **आवेदन पत्र प्राप्त करने का समय और अंतिम तिथि : आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.11.2017 तथा समय 16.00 बजे तक होगी। निर्धारित तिथि तथा समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। डाक में होने वाली विलम्ब के लिए रेल प्रशासन किसी भी प्रकार जिम्मेवार नहीं होगा। अंतिम तिथि 30.11.2017 के बाद प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को स्वतः रद्द समझा जाएगा।**

आवेदक अपने आवेदन पत्र को विहित प्रपत्र में राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित सभी अनुलग्नकों सहित **लिफाफे के उपर बड़े एवं स्पष्ट अक्षरों में नियोजन सं0, जाति – अनारक्षित या पिछड़ी जाति या अनु0 जाति या अनु0 जनजाति या दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक एवं संबंधित आईटीआई ट्रेड का उल्लेख करते हुए कारखाना कार्मिक अधिकारी, पूर्व रेलवे, जमालपुर (पिन 811 214), जिला – मुंगेर के पते पर साधारण डाक के माध्यम से भेज सकते हैं या इस आशय हेतु जमालपुर कारखाना के गेट नं0 01 पर रखे गए सील्ड बक्से में डाल सकते हैं।** यदि अभ्यर्थी अपना आवेदन पंजीकृत डाक (रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट) द्वारा भेजते हैं तो उसे प्राप्त नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। रविवार एवं अन्य छुट्टियों को छोड़कर यह सील्ड बक्सा गेट नं0 01 पर दिनांक 24.10.2017 से दिनांक 30.11.2017 तक सुबह 10 बजे से शाम 16.00 बजे तक रहेगा तथा शनिवार को 10.00 बजे से 13.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा।

7. **उम्मीदवारों के लिए सामान्य निर्देश :**

(क) आवेदक द्वारा अपना मैट्रिक या 10वीं (10+2 पद्धति) कक्षा या समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड की परीक्षा का प्राप्तांक का प्रतिशत आवेदन के फॉर्मेट में दिए गए स्थान पर

स्पष्ट एवं ठीक–ठीक भरा जाना चाहिए। स्पष्ट एवं ठीक–ठीक नहीं भरे जाने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

(ख) उम्मीदवार को भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए और अन्य वैसे व्यक्ति जिन्हें भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा योग्य घोषित किया गया हो।

(ग) उम्मीदवार निश्चित रूप से आवेदन के फार्मेट में दिए गए निर्दिष्ट ट्रेड को दर्शाएं।

(घ) आवेदन पत्र सिर्फ निर्धारित फॉर्मेट जो ए–4 साइज कागज (यानी 30 से.मी. X 21 से.मी.) का हो उम्मीदवार के द्वारा स्वयं भरा होना आवश्यक है। **आवेदक द्वारा एक ही आवेदन पत्र भरा जाना चाहिए।** आवेदन पत्र के सभी कॉलमों को उम्मीदवार द्वारा स्पष्ट अक्षरों में भरा जाना चाहिए तथा इसमें कोई कटिंग या ओभर राइटिंग नहीं होनी चाहिए अन्यथा उसे रद्द कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र के कॉलम में उम्मीदवारों को हस्ताक्षर के साथ–साथ अपने बाएं अंगूठे का स्पष्ट निशान सिर्फ काला मुद्रक स्याही में ही देना आवश्यक है।

उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में विर्निष्ट स्थानों पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर के साथ बाएँ अंगूठे का निशान अनिवार्य रूप से होना चाहिए अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

(च) अनारक्षित और पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र के साथ 100/– (सौ रूपये) मूल्य के रेखांकित पोस्टल आर्डर संलग्न करना अनिवार्य है। जो **''वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, पूर्व रेलवे, कोलकाता''** के नाम से **जी0पी0ओ0 कोलकाता** में देय हो। अनु0 जाति, अनु0 जनजाति, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क देय नहीं होगा। पोस्टल आर्डर की राशि किसी भी स्थिति में लौटाया या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य प्रयोजन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से पहले का निर्गत पोस्टल आर्डर मान्य नहीं होगा। किसी भी स्थिति में पोस्टल आर्डर की राशि लौटाने या हस्तांतरण हेतु किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की चुनौती या दावा नहीं दी जा सकती है।

(छ) **अनु0जाति/अनु0जनजाति/पिछड़ी जाति एवं दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वांछित जाति/क्रीमी लेयर/विकलांगता/सेवा विमुक्ति का प्रमाण पत्र**

i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्रः

अनु0 जाति और अनु0जनजाति के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रोफोर्मा में जिला अधिकारी/अनुमंडल अधिकारी/सक्षम दण्डाधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक है।

(ii) पिछड़ी जाति उम्मीदवारों के लिए वांछित वर्तमान क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र :

पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को ''वर्तमान क्रीमी लेयर'' प्रमाण पत्र जो भारत सरकार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रिय सेवाओं के लिए निर्धारित प्रपत्र में निर्गत किया गया का अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है। जो पिछले एक साल के अन्दर निर्गत किया गया हो।

क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सक्षम पदाधिकारी :–

a) जिलाधीश/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/कलक्टर/उप समाहर्ता/अतिरिक्त उप समाहर्ता/उप जिलाधिकारी/प्रथम श्रेणी स्टाईपेन्ड्री मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जेक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्सट्रा सहायक समाहर्ता (जो प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्ड्री मजिस्ट्रेट श्रेणी से नीचे का न हों),

b) मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट,

c) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार श्रेणी से नीचे का न हो, और

d) उस क्षेत्र के जिसमें उम्मीदवार और/या उसका परिवार रहता हो के सब–डिबिजनल अधिकारी।

iii) दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए :

दिव्यांग उम्मीदवार शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र जिसे मेडिकल बोर्ड जो विशेष इम्पलायमेंट एक्सचेंज हैंडिकैप के लिए/वोकेशनल रीहैबलीटेशन केन्द्र से संबंधित हो या सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन जहाँ बोर्ड अस्तित्व में नहीं है के द्वारा निर्गत किया गया हो, एवं जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17.07.99 के एक्स्ट्रा ऑडिनरी गजट के पारा 4 एवं 5 के अनुसार हो का सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।

iv) भूतपूर्व सैनिक : कार्य विमुक्ति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करेंगे।

Definition of Ex. Servicemen : An ex- service man means a person who has served in any rank whether as a combatant or as a non combatant in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union, but does not include a person who has served in the Defence Security Corps, the General Reserve Engineering Forces, the Lok Sahayak Sena and the Paramilitary Forces. and

a) Who has retired from such service after earning pension, or

b) Who has been released from such service on medical grounds attributable to military service or circumstance beyond his control and awarded medical or other disability pension (except recruits) or

c) Who has been released otherwise than on his own request from such service as a result of reduction in establishment, or

d) Who has been released from such service after completing the specific period of engagement, otherwise than on his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency and has been given a gratuity and includes personnel of the territorial army who are pension holders for continuous embodied service (i.e. TA Personnel released on or after 15.11.86), person with disability attributable to Military services and gallantry award winners. Once an Ex. Servicemen is absorbed in civil post with relaxation, he will not be eligible for any such relaxations for the second time. The serving armed forces/personnel who would come under the category of Ex. Servicemen within one year from the date of publication of this admission notification may also be eligible to apply.

NB : While applying, Ex. Servicemen candidates should furnish a copy of Discharge certificate.

(ज) **आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित अनुलग्नकों/प्रपत्रों का संलग्न रहना अनिवार्य है अन्यथा उसे रद्द कर दिया जाएगा :**

(i) पारा 7 (च) के अनुसार, अनारक्षित तथा पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को 100/- रूपये का एक रेखांकित पोस्टल आर्डर जो **"वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, पूर्व रेलवे, कोलकाता"** के नाम से **जी0पी0ओ0 कोलकाता** में देय हो आवेदन के उपरी भाग में अच्छी तरह नत्थी करना आवश्यक है।

(ii) सबसे उपर अभ्यर्थी के द्वारा स्वहस्ताक्षरित हाल के खींचे गए दो पासपोर्ट साईज फोटाग्राफ। एक स्वयं अभिप्रमाणित तथा आवेदन पत्र के सबसे उपर दिए गए जगह पर चिपकाया हुआ होना चाहिए तथा दूसरा आवेदन पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए।

(iii) उम्र के संबंध में मैट्रिक/10वीं कक्षा (10+2 पद्धति) या उसके समतुल्य मान्यता प्राप्त परीक्षा का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रति।

(iv) मैट्रिक या 10वीं (10+2 पद्धति) या समकक्ष का अंक पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रति।

(v) विनिर्दिष्ट ट्रेडों में एनसीभीटी का आईटीआई सर्टिफिकेट एवं अंक पत्र जो एनसीभीटी का हो, किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रति।

(vi) अनु0 जाति, अनु0 जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, जैसा लागू हो।

(vii) पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए नामांकन सूचना में उल्लिखित किसी एक प्राधिकारी द्वारा निर्गत **वर्तमान क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र** की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, जैसा लागू हो।

(viii) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेवाच्युत प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(ix) पैरा 7 छ(iii) में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें, जैसा लागू हो।

(x) दिव्यांग उम्मीदवार विशेष नियोजनालय/वोकेशनल रीहैबलीटेशन केन्द्र द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, जैसा लागू हो।

(xi) दो स्व पता लिखा हुआ बड़े आकार (साईज 11"X5") का लिफाफा जिसपर पाँच–पाँच रूपये का डाक टिकट लगा हो।

सभी अनुलग्नकों को उपर दिए गए क्रमानुसार होना चाहिए जिसमें पोस्टल आर्डर आवेदन के सबसे उपर होना चाहिए।

8. **प्रशिक्षण हेतु समझौता :** नामांकित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पूर्व एक समझौते के लिए निर्धारित फार्म पर उम्मीदवार को या उसके अभिभावक/माता–पिता को हस्ताक्षर करना होगा। यह समझौता (Agreement Form) एक्ट अप्रेंटिस अधिनियम – 1961 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट एवं शर्त के अनुकूल होगा।

9. **चिकित्सीय जांच योग्यता :** उम्मीदवारों को नामांकन पूर्व रेलवे डाक्टर द्वारा मानक स्वस्थ्ता जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। **प्रशिक्षणोपरान्त, प्रशिक्षणार्थी को विमुक्त कर दिया जाएगा और उनलोगों को रेलवे में रेल प्रशासन द्वारा नियुक्ति नहीं दी जाएगी।**

10. **आवेदन के लिए प्रयुक्त लिफाफे पर अनिवार्य रूप से लोकोमोटिव वर्क्सशॉप, जमालपुर के साथ–साथ नियोजन संख्या एवं कोटि (यथा अनारक्षित या पिछड़ी जाति या अनु0 जाति या अनु0 जनजाति या दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक) एवं एनसीभीटी का आईटीआई ट्रेड का उल्लेख मोटे–मोटे लाल स्याही में करना अनिवार्य है।**

11. प्रशासन यदि यह पाता है कि उम्मीदवार नामांकन के लिए गलत सूचना/गलत प्रमाण पत्र दिया है तो रेल प्रशासन को यह अधिकार होगा कि बिना किसी पूर्व सूचना के नामांकित उम्मीदवार को प्रशिक्षण से बरखास्त कर दें और भुगतान की गई वृतिका एवं सहमति बांड के तहत राशि की वसूली कर सके।

12. नामांकन से संबंधित सभी मामले जिनमें अभ्यर्थियों की पात्रता, उम्मीदवारी, आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना, गलत दस्तावेज़ों या सूचना हेतु दण्ड देना और नामांकन की प्रक्रिया में सुधार/बदलाव लाने का अधिकार रेल प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा। रेल प्रशासन किसी भी आवेदन या उम्मीदवारी को स्वतः बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पूछताछ या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही न्यायालय में चुनौती या दावा पेश किया जा सकता है।

13. प्रशिक्षण हेतु उल्लिखित पदों की संख्या को बढ़ाने/घटाने या नियोजन सूचना को रद्द करने का अधिकार रेल प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।

14. रेल प्रशासन, जमालपुर किसी भी प्रकार की मुद्रण त्रुटी के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक,
पूर्व रेलवे, जमालपुर।

अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के अन्तर्गत एक्ट अप्रेंटिस में नामांकन हेतु आवेदन पत्र

जमालपुर कारखाना – 2017–18

नामांकन सूचना सं0 ई/डब्ल्यूएसआर/एक्ट अप्रेंटिस/जेएमपी/17–18 जमालपुर, दिनांक 24.10.17.

पासपोर्ट आकार का स्वहस्ताक्षरित एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हाल का फोटो चिपकावें

1.	रेलवे इकाई/मंडल का उल्लेख करें	प्रथम	द्वितीय	तृतीय

2.	ट्रेड :	
3.	आधार नं0 :	
4.	मोबाइल नं0 :	
5.	ई–मेल आईडी नं0 :	
6.	उम्मीदवार का नाम (बड़े अक्षरों में) :	
7.	पिता का नाम (बड़े अक्षरों में) :	

8.	समुदाय (निशान □ का लगावें) :	UR		OBC		SC		ST	

9.	लिंग :	पु0		म0	

10.	राष्ट्रीयता :	
11.	धर्म :	
12.	जन्म तिथि : (DD/MM/YYYY)	

13.	भू0पू0 सैनिक (निशान □ का लगावें) :	हाँ		नहीं	
	अटेस्टेशन की तिथि →				

14.	शारीरिक विकलांग की श्रेणी एवं प्रतिशत	ओएच	एचएच	भीएच	%

15.	मैट्रिक या 10वीं कक्षा (10+2 पद्धति) में प्राप्तांक का प्रतिशत :	
	प्राप्तांक का प्रतिशत अंकों में	प्राप्तांक का प्रतिशत शब्दों में

16.	शैक्षणिक योग्यता	परीक्षा पास किया	बोर्ड	वर्ष	डिविजन	मैट्रिक या 10वीं कक्षा (10+2 पद्धति) में प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
	मैट्रिक या 10वीं कक्षा (10+2 पद्धति) या समकक्ष						

17.	तकनीकि योग्यता	बोर्ड/कॉंसिल	ट्रेड	उत्तीर्णता का वर्ष	कुल प्राप्तांक	अर्जित प्राप्तांक	प्राप्तांक का %
	आईटीआई (एनसीभीटी)						

18.	**पोस्टल आर्डर की संख्या : (केवल अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए)**			
	पोस्ट ऑफिस का नाम जहां से पोस्टल आर्डर जारी किया गया	**पोस्टल आर्डर की संख्या**	**निर्गत तिथि**	**रकम**

19.	**पत्राचार का माध्यम (बड़े अक्षरों में) :**	
	ग्राम :	पत्रालय :
	थाना :	जिला :
	राज्य :	पिन :

20.	**नजदीकी रेलवे स्टेशन :**																

21.	**शारीरिक पहचान के चिन्ह (तिल का निशान छोड़कर)**	1)	2)

22.	**क्या आप कभी पूर्व में अप्रेंटिस का प्रशिक्षण/सरकारी नौकरी से निष्कासित हुए हैं :**	हाँ		नहीं	

23. **संलग्न कागजातों की सूची : (संलग्न प्रमाण पत्रों एवं कागजातों की प्रति का पूर्ण व्यौरा भरें)**

i) …………………………………....................... ii) ……………………….............……….

iii) ……………………………….............……… iv) ……………………….............………….

v) ……………………………......................... vi) ………………………………......…………

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे आवेदन पत्र में सभी सूचनाएं सही एवं पूर्ण हैं और यदि कोई भी सूचना/विवरण गलत पाया जाता है तो मेरी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाए।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि यदि घोषित सूचनाओं में से किसी भी प्रकार की त्रुटी पाई जाती है तो मैं इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होउंगा तथा मेरी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।

मैं पूर्णतः समझता हूं कि मेरी उम्मीदवारी रेलवे के केवल अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आवंटित ट्रेड में प्रशिक्षण हेतु है न कि प्रशिक्षणोपरान्त रेलवे में नौकरी हेतु है। मैं रेलवे में नौकरी हेतु कभी भी दावा पेश नहीं करूंगा/करूंगी।

उम्मीदवार का हस्ताक्षर (अंग्रेजी में) **उम्मीदवार का हस्ताक्षर (हिन्दी में)**

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के बायें अंगूठे का निशान
(केवल मुद्रक स्याही में)